प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.01.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा थानों में रखे माल का निस्तारण करने सम्बन्धी अभियान के अन्तर्गत कमिश्नरेट के समस्त थानों के कुल 240 अभियोगों से सम्बन्धित कुल 2232.266 kg मादक पदार्थों (अनुमानित कीमत 13.15 करोड़ रू0) का निपटान/विनिष्टिकरण किया गया।

थानों के मालखानों में काफी समय से काफी मात्रा में माल मादक पदार्थ यथा- चरस, गांजा, अफीम आदि जमा थे, जिनके निस्तारण करने के लिए दिनांक 25.01.2025 से 31.01.2025 तक एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जोन स्तर पर तीनों पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में ड्रग डिस्पोजल कमेटियों गठित की गई थीं तथा तीनों ड्रग डिस्पोजल कमेंटिया व नारकोटिक्स सेल के अधिकारी/कर्मचारीके प्रयास से थानों के मालखानों में रखे मादक पदार्थों का आज दिनांक 30.01.2025 को निस्तारण किया गया। नगर जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष पुलिस उपायुक्त नगर (अध्यक्ष), सहायक पुलिस आयुक्त अपराध (सदस्य), तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध (सदस्य) द्वारा 239.546 कि0ग्रा0 गांजा, 1.250 कि0ग्रा चरस का डिस्पोजल किया गया। ग्रामीण जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष पुलिस उपायुक्त ग्रामीण (अध्यक्ष), सहायक पुलिस आयुक्त अपराध (सदस्य), तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध (सदस्य) द्वारा 922.799 कि0ग्रा0 गांजा, 824.950 कि0ग्रा0 डोडा, 22.820 कि0ग्रा0 चरस, 0.130 कि0ग्रा स्मैक/हैरोइन, डिस्पोजल किया गया तथा ट्रांसहिंण्डन जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष पुलिस उपायुक्त ट्रांसहिंण्डन (अध्यक्ष), सहायक पुलिस आयुक्त अपराध (सदस्य), तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध (सदस्य) द्वारा 187.295 कि0ग्रा0 गांजा, 1.720 कि0ग्रा चरस, 26.500 कि0ग्रा0 डोडा, 0.027 कि0ग्रा0 स्मैक/हैरोइन, तथा 3.089 कि0ग्रा नशीला पाऊडर का डिस्पोजल किया गया। तथा ट्रांस हिंण्डन जोन के ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 2.040 कि0ग्रा अफीम को सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना नियन्त्रक गाजीपुर में जमा किया गया,जिसका प्रयोग दवाईयां बनाने में किया जाता है। उक्त अभियान के तहत आज दिनांक 30.01.2025 को उपरोक्त सम्पूर्ण माल माननीय न्यायालय की अनुमति व विभागाध्यक्ष की अनुमति से तीनों ड्रग डिस्पोजल के अध्यक्ष व सदस्यों की मौजूदगी में M/S Environ Waste Connection LLP Plant Address MG Road Industrial Area में सम्बन्धित थानों के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा सभी मानक पूर्ण करते हुए विनिष्टीकरण/निस्तारण किया गया। तीनों जोन द्वारा नष्ट किया गया कुल माल गांजा 1349.640 कि0ग्रा0 (अनुमानित मुल्य- 67482000) डोडा- 851.450 कि0ग्रा0 (अनुमानित मूल्य-21286250), अफीम- 2.040 कि0ग्रा0 (अनुमानित मूल्य-4080000). चरस- 25.790 कि0ग्रा0 (अनुमानित मूल्य-25790000) स्मैक/हैरोइन

- 0.157 कि0ग्रा0 (अनुमानित मूल्य-5140000), नशीला पाऊडर- 3.089 कि0ग्रा0 (अनुमानित मूल्य-7722500) कुल मादक पदार्थ- 2232.266 कि0ग्रा0 (अनुमानित मूल्य-131500750)का विनिष्टीकरण किया गया। इतने अधिक मात्रा में थानों में रखे माल -मादक पदार्थों के निस्तारण से थाना परिसर एवं मालखाना के साफ-सफाई में सकारात्मक सुधार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 30.01.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. साजिद पुत्र लईक पेन्टर मूल पता साकमर मौहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा हाल पता मदरसा के पीछे छोटी मस्जिद पास ग्राम महराजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष, 2. सऊद आलम पुत्र बहरुद्दीन आलम मूल पता वार्ड नं0 7 नजदीक नदी के किनारे गांव काकान आंचल जनपद अररिया ककन (बिहार) हाल पता म0नं0 224 सी 224 कामना सैक्टर 5 वैशाली जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को सै0-2/5 की पुलिया के पास वैशाली थाना कौशांबी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त साजिद व सऊद आलम निवासी उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 317(2) बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त साजिद पुत्र लईक पेन्टर व सऊद आलम पुत्र बहरुद्दीन आलम निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनो अभियुक्तगण द्वारा उक्त मोटर साइकिल को कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी। जिसे बेचने की फिराक में इधर-उधर घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः

1. साजिद पुत्र लईक पेन्टर मूल पता साकमर मौहल्ला थाना कौतवाली जनपद इटावा हाल पता मदरसा के पीछे छोटी मस्जिद पास ग्राम महराजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. सऊद आलम पुत्र बहरुद्दीन आलम मूल पता वार्ड नं0 7 नजदीक नदी के किनारे गांव काकान आंचल जनपद अररिया ककन (बिहार) हाल पता म0न0 224 सी 224 कामना सैक्टर 5 वैशाली जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दुकान का ताला तोड़कर कैन्ट आर ओ सर्विस का सामान चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 160 कैंट इन्लाइन सैडीमेंट फिल्टर, 151 कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 04 सुपर कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 04 सुपर कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 12 कैन्ट आर ओ मोटर बरामद ।

दिनांक 29.01.2025 को थाना इंदिरापुरम पर वादी श्री मनोज शर्मा पुत्र हरीकिशन शर्मा निवासी सै0-15 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि मेरे कैन्ट आर ओ सर्विस सेन्टर सैक्टर 13 वसुन्धरा से मेरी दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी हो गया है। तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा धारा 305,331(4) बीएनएस में पंजीकृत कर टीमों का गठन किया मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दुकान का ताला तोड़कर कैन्ट आर ओ सर्विस का सामान चोरी करने वाला 1. अभियुक्त कमल किशोर पुत्र श्री कृष्ण हाल निवासी सुरेन्द्र नागर के मकान मे किरायेदार ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम काकोरी थाना संधना जनपद सीतापुर उम्र करीब 28 वर्ष को आज दिनांक 30.01.2025 को सिलवर स्पून कट थाना इन्दिरापुरम से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी हुआ 160 कैंट इन्लाइन सैडीमेंट फिल्टर, 151 कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 04 सुपर कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 04 सुपर कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 12 कैन्ट आरओ मोटर बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 305,331(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः</u>- गिरफ्तार अभियुक्त कमल किशोर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त कमल व उसके अन्य दो साथी व साले के बेटे प्रियांशु ने मिलकर दिनांक 28.01.2025 की रात्रि में दुकान का ताला तोड़कर कैन्ट आर ओ सर्विस का सामान चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त बरामद चोरी के सामान को बेचने के लिये दिल्ली जा रहा था। जिसमें से बचा कुछ अन्य सामान अभियुक्त के साथी के निवास स्थान ग्राम कनावनी में रखा हुआ है। जिसकी निशांदेही से बचा हुआ अन्य सामान ग्राम कनावनी से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कमल किशोर पुत्र श्री कृष्ण हाल निवासी सुरेन्द्र नागर के मकान मे किरायेदार ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम काकोरी थाना संधना जनपद सीतापुर उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 160 कैंट इन्लाइन सैडीमेंट फिल्टर, 151 कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 04 सुपर कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 04 सुपर कैंट मिनरल हाई फ्लो आर ओ मैम्ब्रेन, 12 कैन्ट आर ओ मोटर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त कमल किशोर उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।